BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPLE BENCH NEW DELHI

O.A. No- 902 of 2024

IN THE MATTER OF:

Ram Saran Gusain ..Applicant

Versus

State of Uttarakhand ..Respondent

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply filed by District Mining Officer alongwith photographs	1-5

New Delhi

Dated 20.11.2024

Filed by:-

(ANJALI RAJPUT)
Advocate for the Respondent
136, New Lawyers Chambers
M.C. Setalvad Block
Bhagwan Dass Road
Supreme Court of India
New Delhi-110001
Mobile No. 9811777368
Email: advanjali.rajput@gmail.com

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, भोपालपानी
जनपद देहरादून।

सेवा में,

डिप्टी रजिस्ट्रार,
मा0 एन0जी0टी0, फरीद कोर्ट हाउस
कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली
पिन कोड :– 110001

संख्याः 872/**एन0जी0टीमू0आ0सं0 902/2024/भू0खनि0वि0दे0दून/2024–25 दिनांक** 19 **नवम्बर, 2024**

विषयः **मा0 एन0जी0 में योजित मूल आवेदन संख्या 902/2024 "राम शरण गुसांई पुत्र श्री राधेश्याम बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य" के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी देहरादून के पत्र संख्या 5120/भू0खनि0नि0/मू0आ0सं0 902/2024/दे0दून/2024–25 दिनांक 18 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मूल आवेदन संख्या 902/2024 श्री रामशरण गुसाई बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0 से सम्बन्धित प्रकरणो में आबद्व सुश्री अंजलि राजपूत, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से तत्काल सम्पर्क स्थापित करते हुए मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व मे कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्र संख्या 1767 दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मूल आवेदन संख्या 902/2024 श्री रामशरण गुसाई बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 के अनुपालन में दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 को जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, श्री फैज उल्ला खान, एन्फोर्समेंट कार्डिनेटी, एन0एम0सी0जी0 तथा अधोहस्ताक्षरी के द्वारा तहसील ऋषिकेश के स्थान त्रिवेणी घाट व निकटस्थ स्थलो का संयुक्त निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण दिनांक को तहसील ऋषिकेश के स्थान त्रिवेणी घाट व निकटस्थ स्थलो पर पूर्व में अवैध खनन की शिकायत से सम्बन्धित कोई भी अवैध खनन सम्बन्धी साक्ष्य प्राप्त नही हुए ना ही अवैध खनन होने की पुष्टि की गयी, जिस कारण प्रश्नगत स्थल में पूर्व में हुए खनन कार्य की पुष्टि किया जाना सम्भव नही हो पाया।

अवगत कराना है कि पूर्व में वर्षाकाल में गंगा नदी का जलस्तर बढने के कारण त्रिवेणी घाट के प्लेट फॉम एवं अन्य स्थल पर पानी के बहाव के साथ उपखनिज रेत आकर एकत्रित हो गया था **(फोटोग्राफ संलग्न)** तथा प्रश्नगत स्थल आस्था से जुडा होने, तीर्थ यात्री व अन्य जनमानस का आवगमन होने के साथ ही जनमानस द्वारा स्नान–ध्यान किये जाने के दृष्टिगत प्रश्नगत स्थल पर एकत्रित उपखनिज रेत की सफाई/निस्तारण हेतु नीलामी के माध्यम से श्री आकाश जैन को कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा अल्प अवधि की अनुमति प्रदान की गयी थी। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि श्री आकाश जैन को गंगा नदी तल में कोई भी अनुमति प्रदान नही की गयी थी, मात्र त्रिवेणी घाट के प्लेट फॉम एवं अन्य स्थल पर एकत्रित उपखनिज रेत की निकासी हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी।

प्रश्नगत स्थल पर एकत्रित/जमा हुए 1253.70 टन रेत के निस्तारण/निकासी हेतु नीलामी के माध्यम से श्री आकाश जैन द्वारा रू0 96,000/–(रू0 छियानब्बे हजार मात्र) की उच्च बोली लगायी गयी। उच्चतम बोली की धनराशि एवं उच्चतम बोली की धनराशि के अतिरिक्त रायल्टी का 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 1755/– रायल्टी का 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क 8776/– तथा रायल्टी का 15 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास शुल्क रू0 13,164 की धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्षक व जिला खनिज फाउण्डेशन के निर्धारित बैक खाता किये जाने के उपरान्त कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के संशोधित आदेश संख्या 1184/खनिज–अनु0/2023 दिनांक 18 नवम्बर, 2023 के द्वारा श्री आकश जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन निवासी 344 श्यामपुर ऋषिकेश जनपद देहरादून को दिनांक 18.11.2023 से दिनांक 08.12. 2023 तक अर्थात 20 दिन की अनुमति प्रदान की गयी थी। उक्त अनुमति के क्रम में अनुज्ञाधारक/सफल बोलीदाता श्री आकाश जैन द्वारा स्वीकृत मात्रा कुल 1253.70 टन के सापेक्ष स्वीकृत अवधि में कुल 854 टन की निकासी की गयी तथा अनुज्ञाधारक के पोर्टल पर कुल 399.70 टन उपखनिज की मात्रा अवशेष है।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1873/VII-A-1/2021-05(28)/2021 दिनांक 10 नवम्बर, 2021 के द्वारा उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति–2020 एवं समस्त विद्यमान नीतियों, शासनदेश व आदेशो को अधिक्रमति करते हुए उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति–2021 प्रख्यापित की गयी। जिसमें नदी/जलाशय/नहरों में अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा मलवा/आर0बी0एम0/सिल्ट, जिससे भू–कटाव एवं जान–माल का खतरा होने की संभावना के दृष्टिगत अल्प अविध हेतु अनुमति स्वीकृत की जाती है तथा उक्त नीति के अन्तर्गत उपखनिज की मात्रा का निस्तारण किये जाने हेतु पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने का कोई प्राविधान नही है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवीन)

प्रभारी जिला खान अधिकारी/खान निरीक्षक,

देहरादून।

संख्या: /एन0जी0टीमू0आ0सं0 902/2024/भू0खनि0वि0दे0दून/2024–25 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।**

1. निदेशक महोदय, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी देहरादून को उनके पत्र दिनांक 18 नवम्बर, 2024 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून।
3. सुश्री अंजलि राजपूत, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या 902/2024 के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

प्रभारी जिला खान अधिकारी/खान निरीक्षक,

देहरादून।